संख्या - 009/वी.जी.एल/018/38717

भारत सरकार

केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 01.04.2009

**परिपत्र संख्या 8/4/09**

विषय: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों में आर.डी.ए. के लिए आरोप-पत्र तैयार करना ।

उन मामलों में जहाँ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आर.डी.ए.की सिफ़ारिश की जाती है, पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के साथ आरोप-पत्र/आरोपों का मसौदा संलग्न करने की पुरानी प्रथा को बन्द करने के परिणामस्वरूप विभिन्न मुख्य सतर्कता अधिकारियों से आयोग में बड़ी संख्या में संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें पिछली प्रथा को पुन: प्रारंभ करने के लिए हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई है ।

2. यद्यपि आयोग ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ (पिछली प्रथा को पुन: लागू करने के लिए) अलग से इस मुद्दे को उठाया है, तथापि यह सभी संबंधितों की सूचना के लिए है कि वर्तमान में पिछली प्रथा को बन्द करने का केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निर्णय कायम है । इसका अर्थ यह है कि संबंधित संगठन/अनुशासनिक प्राधिकारी उन मामलों में आरोप-पत्र/आरोप (साक्ष्यों एवं अभियोजन गवाहों की सूची भी) तैयार करें जिनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विभागीय कार्यवाहियों की सिफ़ारिश करती है तथा जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफ़ारिश स्वीकृत की गई है ।

3. चूंकि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट सामान्यतया, सुविस्तृत तथा स्वत:पूर्ण होती है, अत:, आंतरिक सतर्कता विभागों/अधिकारियों के लिए आरोप-पत्र/आरोप तैयार करना सामान्यतया, अपने आप में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए । वास्तव में, इसमें केवल सावधानी से विवेक का उपयोग करने की आवश्यकता है । जब विभागीय स्तर पर अन्वेषण किए गए मामलों में सतर्कता कर्मचारियों द्वारा स्वंय आरोप-पत्र तैयार किए जाते हैं तब क्या कारण है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के संबंध में, जैसा कि उपर बताया गया है, जहां रिपोर्ट सुसंरचित तथा सुस्पष्ट होती हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता । फिर भी, यदि, किसी निश्चित मामले में आरोप-पत्र तैयार करने में संबंधित संगठन को वास्तविक/सही समस्या अथवा कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ उचित ढंग से उठाया जा सकता है । कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे दृष्टांत/अपवाद कम हैं तथा केवल अपवाद हैं ।

4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी विभागीय कार्यवाहियों में प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए अपने कर्मचारी उपलब्ध कराने की प्रथा को समाप्त कर दिया है । यहां भी, यह कारण समझ में नहीं आता कि क्यों विभागीय (सतर्कता) कर्मचारी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण

किए गए मामले में जांच अधिकारी के समक्ष मामला प्रस्तुत नहीं कर सकते जबकि संगठन के अपने कर्मचारी ही विभाग द्वारा अन्वेषण किए गए मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं ।

5. अत:, संक्षिप्त में, आज से, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई (आपराधिक अभियोजन से भिन्न) की सहमति हो चुकी है, आरोप पत्र/आरोप तैयार करना तथा साक्ष्य एवं साक्षियों की सूची तैयार करना संबंधित संगठनों का उत्तरदायित्व है । उसी प्रकार से, ऐसे मामलों में, संबंधित संगठन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में अपने संगठन से ही एक अधिकारी नियुक्त करना है । इनके बारे में अपने कर्मियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी(यदि आवश्यक हो तो) संगठन कर सकते हैं । यदि संगठन चाहता है तो, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में आयोग तथा/अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी भी संकाय सदस्य के रूप में सम्बद्ध हो सकते हैं । यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि आरोप-पत्रों का "मसौदा" उपलब्ध ना होने अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का अपने कर्मचारियों को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की स्थिति में ना होने के कारण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने में विलंब ना हो अथवा रोकी ना जाए ।

6. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों से अनुपालन/आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपर्युक्त को नोट करने का अनुरोध है ।

ह0/-
(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सेवा में

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रति : निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली